

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना

पत्रांक-BRRDA(HQ)-43/2023-2316

पटना / दिनांक:- 19.06.2025

आम सूचना

01 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रभावी होने के फलस्वरूप उक्त तिथि के उपरान्त कार्यान्वित कराये गये कार्यों जिनके प्राक्कलन में आउटपुट आधारित वस्तु एवं सेवा कर को सम्मिलित नहीं किया गया है, के मामलों में वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त कर दायित्व के दावों का ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नियमानुसार सत्यापन कर भुगतान करने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संवेदकों को दिनांक-31.12.2024 तक प्रमण्डलों में अपना दावा समर्पित करने का समय निर्धारित किया गया था। जिसके लिए विज्ञापन सं०- PR 09693(RWD) 2024-25, दिनांक-06.10.2024 के माध्यम से आम सूचना निर्गत किया गया है।

सक्षम प्राधिकार से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में दावा समर्पित करने की तिथि को दिनांक-30.09.2025 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।



19/06/25

(अभय झा)

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्रांडा